न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA054 Isharam etc Vs Jetharam ets

1. इशाराम पुत्र जोगाराम जाट
2. भूराराम पुत्र जोगाराम जाट
3. भोमाराम पुत्र जोगाराम जाट
4. डालूराम पुत्र जोगाराम जाट
5. नैनी पत्नी जोगाराम जाट

निवासीगण ग्राम लूम्बासर,
तहसील बाप, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. जेठाराम पुत्र टीकूराम जाट, निवासी ग्राम लूम्बासर तहसील बाप, जिला जोधपुर
2. वीरमाराम पुत्र टीकूराम जाट, निवासी ग्राम लूम्बासर तहसील बाप, जिला जोधपुर
3. नैनी पुत्री हरसुख पत्नी कौशलाराम जाट, निवासी ग्राम घटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर
4. मीरा पुत्री हरसुख पत्नी भेराराम जाट, निवासी ग्राम घटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर
5. सोनाराम पुत्र भीयाराम जाट, निवासी ग्राम घटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर
6. हीरालाल पुत्र भीयाराम जाट, निवासी ग्राम घटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर
7. जसाराम पुत्र जीवणराम जाट, निवासी ग्राम चाखु, तहसील बाप, जिला जोधपुर
8. श्रवणराम पुत्र खीयाराम जाट, निवासी ग्राम चाखु, तहसील बाप, जिला जोधपुर
9. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. (पूर्व एसबीबीजे) शाखा कानसिंह की सीड, तहसील बाप, जिला जोधपुर
10. तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 5 मार्च 2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व वाद संख्या 132/2016 (2017) जेठाराम व अन्य बनाम इशाराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री चेतनराम जाखड, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. 2 से 4
श्री विकान्त राठौड, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 9
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 10

नि र्ण य

दिनांक : 08 नव., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2016(2017) जेठाराम व अन्य बनाम ईशाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 मई 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद ग्राम सुभाषनगर पटवार हळका लूणा तहसील बाप स्थित आराजी खसरा संख्या 7 रकबा 122 बीघा 14 बिस्वा में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो का 1091/2454वॉ हिस्से का, वादीगण-रेस्पो. संख्या 3 व 4 को 272/2454वें हिस्से का, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या 1 से 5 को 273/2454वें हिस्से का एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 (रेस्पो. संख्या 5 व 6) को 818/2454 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, मगर बावजूद सूचना प्रतिवादीगण संख्या एक से दस के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। 25 दिसम्बर 2017 को प्रतिवादी संख्या 11 राज्य सरकार की ओर से दावे का जवाब पेश किया गया। उक्त जवाब में दावे में वर्णित अभिकथनो का कोई विरोध नहीं किया गया। लिहाजा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण बहस समायत हेतु मुकर्रर किया गया। दिनांक 05 मई 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार का दावा स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स - प्रतिवादीगण द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2017 को वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये एवं आगामी पेशी 05 अक्तूबर 2017 मुकर्रर की गयी, 05 अक्तूबर 2017 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से पेशी इल्तवा की जाकर आइन्दा पेशी 06 नवम्बर 2017 मुकर्रर की गयी, 06 नवम्बर 2017 को अधिवक्ता-वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को डाक से भेजे गये सम्मनों की रसीदात पेश की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण 3, 4, 5 के सम्मन लेने से इंकार के साथ प्राप्त होने को तामील मानकर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। मगर वस्तुस्थिति यह है कि सम्मन डाक से भेजे जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया था, ऐसी स्थिति में सम्मनों की तामील सम्यक एवं समुचित मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की गयी है। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी को अपना वाद साबित करना आवश्यक था, मगर आलौच्य मामले में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. का दावा स्वीकार करने में गम्भीर कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। वादीगण-रेस्पो. द्वारा पक्षकारान के वादग्रस्त आराजियात में जो अलग-अलग हिस्से दर्शाये गये है, उनका कोई युक्तियुक्त आधार स्पष्ट नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के वादीगण-रेस्पां. का दावा स्वीकार करने में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित करने के पूर्व पक्षकारान के भौतिक कब्जे बाबत वास्तविक स्थिति की जानकारी अभिलेख पर लिया जाना भी नितान्त आवश्यक होता है, सामान्यतः ऐसे मामलों में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का आश्रय लिया जाता है, मगर आलौच्य मामले में पक्षकारान के भौतिक कब्जे बाबत कोई जानकारी या विवरण अभिलेख पर लिये बिना ही स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी, जो व्यावहारिक, न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य मियादशुमार की जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जबाव में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या एक से दस बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ इकतरफा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही के आदेश देने में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं की गयी है। प्रतिवादी संख्या 11 राज्य सरकार द्वारा वादीगण के वाद का जवाब पेश किया गया, मगर उसमें वादीगण के वादपत्र के किसी भी अंश का खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के वाद को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं था। प्रतिपक्षी द्वारा जब तथ्यों को स्वीकार कर लिया जावे तो फिर उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो. ने 2015(1) सिविल कोर्ट केसेज 230 की नजीर पेश की।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 9 एवं राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 10 ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2017 को वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये एवं आगामी पेशी 05 अक्तूबर 2017 मुकर्रर की गयी, 05 अक्तूबर 2017 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठांसीन अधिकारी दौरे पर होने से पेशी इल्तवा की जाकर आइन्दा पेशी 06 नवम्बर 2017 मुकर्रर की गयी, 06 नवम्बर 2017 को अधिवंक्ता-वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को डाक से भेजे गये सम्मनों की रसीदात पेश, और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण 3, 4, 5 के सम्मन लेने से इंकार के साथ प्राप्त होने को तामील मानकर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की ओर कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया, <u>जबकि रजिस्टर्ड एडी से सम्मन भिजवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये थे</u>। प्रतिपक्ष की

तलबी हेतु सम्मन जारी किये जाने एवं सम्मनों की तामील के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता में दी गयी व्यवस्था के अनुसार --

Rule 9 Order V of Code of Civil Procedure 1908 "Delivery or transmission of summons for service"

(1) Where the defendant resides within the jurisdiction of the Court in which the suit is instituted, or has an agent resident within that jurisdiction who is empowered to accept the service of the summons, the summons shall, unless the Court otherwise directs, be delivered or sent to the proper officer to be served by him or one of his subordinates.

(2) The proper officer may be an officer of a Court other than that in which the suit is instituted, and, where he is such an officer, the summons may be sent to him by post or in such other manner as the Court may direct.

जाहिर है आलौच्य मामले में इस व्यवस्था की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है।

इसके अलावा विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि वादी को अपने पैरो पर खडा होना चाहिये अर्थात उसे अपना वाद स्वयं ही साबित करना चाहिये, प्रतिपक्षी की भूल, प्रमाद या गलतियों का उसे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। सर्वप्रथम उसे ही अपने वादपत्र में किये गये अभिकथनों को सिद्ध करना होता है। आलौच्य प्रकरण में, जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक से दस के खिलाफ उपरोक्त वर्णितानुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर दिये जाने के कारण उनकी ओर से वादीगण के वाद का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सका, प्रतिवादी संख्या ग्यारह (तहसीलदार बाप) की ओर से वादीगण के वाद का जवाब अवश्य पेश किया गया,

मगर कोई ठोस एवं दृढतापूर्वक विरोध नहीं किया गया, मगर यह भी सही है कि अपने जवाब में **प्रतिवादी संख्या ग्यारह (तहसीलदार बाप) द्वारा किसी प्रकार से इकबाली जबाब पेश नहीं किया गया,** बिन्दु संख्या एक राजस्व अभिलेख से संबंधित होना सही माना, बिन्दु संख्या 2 से 4 तथ्यात्मक का विवरण तथा बिन्दु संख्या 8 व 10 कानूनी एवं बिन्दु 11 इस्तदुआ का बताते हुए बकाया बिन्दु संख्या 5, 6 7 और 9 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 11 ने "..... **वादीगण स्वयं सिद्ध करें...." अंकित करते हुए जबाब पेश किया है।** साफ जाहिर है कि कम से कम उक्त बिन्दु को वादीगण स्वयं को सिद्ध करने अनिवार्य थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में बहस सुन कर वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित एवं निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुकूल नहीं है।

जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मामला गुणावगुण पर सारवान पाया जावे, वहॉ मियाद जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज किया जाकर पक्षकार के लिए न्यायप्राप्ति की राह में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिये। आलौच्य अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है, अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जाती है और इसका गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना तय किया जाता है।

• अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद आर.टी. एक्ट की धारा 88, 188,92ए के तहत पेश किया गया नियमित वाद है जिसमें किये गए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अभिवचनों को साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राह्य सुसंगत दस्तावेजों एवं अन्य मौखिक साक्ष्यों से साबित करने का ज़िम्मा वादीगण का था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा हाना नहीं पाया जाता। यहां तक कि राजस्व अभिलेख भी प्रदर्श करवाकर रिकॉर्ड पर लिया जाना नही पाया जाता है।

• वादग्रस्त भूमि में तीन खातेदार थे, परन्तु राजस्व रेकर्ड अनुसार उनके पृथक-पृथक हिस्से अंकित नहीं किये हुए है। इसलिए सर्वप्रथम यह प्रमाणित करना था कि प्रत्येक रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि में किसका कितना अंश और किस प्रकार से धारित है। तत्पश्चात् ही वाद के कथनों के अनुसरण में प्रस्तुत अभिलेख को रिकार्ड पर लेकर दावा साबित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के कथनों को हूबहू स्वीकार करने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है। दावा स्वीकार करने के कारणों को भी अभिलिखित नहीं किया गया है।

• वादग्रस्त भूमि में जो पंजीबद्ध विक्रय विलेख हुए है, उन्हे भी रिकॉर्ड पर लिया जाकर उनके परिप्रेक्ष्य में वाद परीक्षण प्रत्येक अभिलिखित खातेदार के हिस्से का आकलन पृथक-पृथक करके स्पष्टतः हिस्से का खुलासा कर हिस्से की घोषणा की जानी चाहिए थी।

• पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के आधार पर भरे गए नामांतरकरणों से जमाबंदी तहरीर करते वक्त खातेदारो के हिस्से में त्रुटि अंकित हुई है तो इन नामांतरकरणों को भी रिकॉर्ड पर लेकर वाद विवेचन गणना करके पृथक हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण की प्रक्रिया दूषित रही है, निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है। इन त्रुटियों को अपीलांट अभिभाषक ने बहस के दौरान बखूबी इंगित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आखिरकर रिकॉर्डेड काश्तकारों को अपना हक-हिस्सा तय करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड को अघतन कराने का पूर्णतः कानूनी अधिकार है। भू-राजस्व अधिनियम के तहत और तद्धीन बने नियम भी राजस्व अधिकारियों (लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर) का दायित्व तय करते है कि वो राजस्व रेकार्ड के निरीक्षण में इंगित हुई त्रुटियों को कभी-भी पक्षकारों को सूचित कर उनकी सुनवाई पश्चात् दुरुस्त कर सकते है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2018 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि --

- उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 नवम्बर 2019 को मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित रहे। प्रतिवादीगण संख्या एक से दस उसी रोज अपना जवाबदावा पेश करें।
- अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में मामले में नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ करें। दावे एवं जबाबदावे के अनुसार मामले में तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान को सम्बद्ध तनकियात साबित करने और अपना पक्ष सिद्ध करने हेतु साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे।
- प्रस्तुत साक्ष्य सबूत की रोशनी में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए मूल वाद में नये सिरे से विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/11/19

(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर